क्रम संख्या—193 (ङ) पंजीकरण संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015—17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 29, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग—2

संख्या 965/XIII-II/40(1)/2014

देहरादून, 20 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

सा0प0नि0—14

राज्यपाल, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 93 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (चालीस) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डी क्षेत्र में ई—व्यापार के प्रयोजन हेतु निम्नानुसार उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद ई—व्यापार मण्डी क्षेत्र अनुज्ञप्ति नियमावली, 2016 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं;

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद ई—व्यापार मण्डी क्षेत्र अनुज्ञप्ति नियमावली, 2016

अध्याय—एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद ई—व्यापार मण्डी क्षेत्र अनुज्ञप्ति नियमावली, 2016 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (क) **"अधिनियम"** से "उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011" अभिप्रेत है।

(ख) **"अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत ऐसे कमीशन एजेन्ट, दलाल या आढ़तिया है, जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, कमीशन या पारिश्रमिक पर, चाहे वह नकदी में हो या वस्तु में, अपने स्वामी की ओर से कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय की संविदाओं की बात या व्यवस्था करता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे स्वामी का सेवक नहीं है भले ही वह ऐसी संविदाओं की बात अथवा व्यवस्था करता हो;

(ग) **"व्यापारी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अपने सामान्य व्यापारिक कार्यों के दौरान किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद को खरीदता है या बेचता है। इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण करता हो, लेकिन उसमें कृषक शामिल नहीं है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

पोर्टल पर पंजीकरण

3. अधिनियम की धारा 27(क) के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा व्यापारी द्वारा ई–व्यापार की इच्छा रखने की स्थिति में उसे उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की ई–व्यापार पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण हेतु अर्हता

4. ई–व्यापार हेतु पंजीकरण उन्हीं अनुज्ञप्तिधारियों अथवा व्यापारियों का किया जा सकेगा जो पूर्व से ही राज्य की किसी मण्डी समिति में सामान्य व्यापार हेतु अनुज्ञप्तिधारक होंगे।

लॉग–इन पहचान व पासवर्ड

5. पंजीकरण कराने पर उसे पोर्टल से लॉग–इन पहचान तथा पासवर्ड ई–मेल द्वारा प्राप्त होगा। पासवर्ड को वह अपनी इच्छानुसार पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग करके बदल सकेगा।

ई–व्यापार की अनुज्ञप्ति	6.	पोर्टल पर लॉग–इन पहचान तथा पासवर्ड के आधार पर जुड़ने के उपरान्त उसे अपने डिजीटल हस्ताक्षर के उपयोग करने से उत्तराखण्ड की समस्त कृषि उत्पाद मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्रों में ई–व्यापार की अनुज्ञप्ति प्राप्त होगी। इसके लिए उसे अलग से कोई अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आज्ञा से,

डॉ० रणबीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 965/XIII-II/40(1)/2014, dated December 20, 2016 for general information :

No. 965/XIII-II/40(1)/2014

Dated Dehradun, December 20, 2016

NOTIFICATION

In exercise of power conferred by clause (forty) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 93 of Uttarakhand Agriculture Produce Mandi (Development and Regulation) Act, 2011, the Governor is pleased to promulgate. The Uttarakhand Agriculture Produce E-trading Mandi Area License Rules, 2016 for the purpose of e-trading in Mandi area as follows:-

The Uttarakhand Agriculture Produce E-Trading Mandi Area License Rules, 2016

Chapter – One
Preliminary

Short title Extent & commencement	(1)	These rules may be called the Uttarakhand Agriculture Produce E-Trading Mandi Area License Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. (a) "Act" means the Uttarakhand Agriculture Produce Mandi (Development and Regulation) Act, 2011.

(b) "License holder" means such commission agent, broker or agencies who in general course of business, whether in cash or kind, manages the things or contracts of sale or purchase of agriculture produce on behalf of his owner, but not include servants of such owners inspite of him managing the things of such contracts.

(c) "Trader" means a person buying or selling a notified product during the course of his general trading works, it includes person who processes any agriculture produce but does not include a farmer.

(d) All words and expressions used and not defined here in, but defined in the Uttarakhand Agriculture Produce Mandi (Development and Regulation) Act, 2011, shall have the same meaning assigned to them in the said Act.

Registration on Portal

3. In case of any license holder or trader willing to e-trade under section 27 (a) of the Act, he shall be required to register himself on e-trade portal of the Uttarakhand Agriculture Produce Marketing Board.

Qualification for Registration

4. Registration for e-trade may be made only of such license holders or traders who are already holding license for general trade in any Mandi Society.

Login ID and Password

5. On registration, he will receive a login and password to the portal through e-mail. He may be able to change the password by making use of the facility available on portal.

License to e-trade

6. After connecting to portal through log in ID and password and using digital signature a license will be obtained for e-trading in Mandi areas of all agriculture produce Mandi Societies of Uttarakhand and no other license shall be required separately.

By Order,

Dr. RANVEER SINGH,
Add. Chief Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 कृषि/659—2016—100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।